1996-97 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 890/96]

अपरान्ह 12.03 बजे

[हिन्दी]

लोक लेखा समिति

समिति की विभिन्न रिपोर्टों पर कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही और अध्याय-पांच के संबंध में अंतिम उत्तर दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) क्रय और भंडार संबंधी 92वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(2) पहिया और धुरी संयंत्र संबंधी 93वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(3) मध्य रेलवे-आयातित इनवर्टर्स के बेकार पड़े रहने और रेलवे के संबंध में निक्षेप कार्य संबंध 126वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(4) पश्चिम रेलवे-'दि बर्निंग ट्रेन' की शूटिंग के दौरान आग लगने के कारण रेलवे के सवारी डिब्बे का निश्चलीकरण और पूर्व रेलवे-एक इस्पात संयंत्र को दिये गये माल डिब्बों को हुए नुकसान और उनमें खराबी संबंधी 192वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(5) रेलवे में माल डिब्बों की उपलब्धता संबंधी 199वां प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा)।

(6) मैट्रो रेलवे, कलकत्ता संबंधी दूसरा प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(7) कोचिंग सेवाएं संबंधी दसवां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(8) पश्चिम रेलवे-डाबला से सिघाना तक एक मीटर गेज लाइन का निर्माण संबंधी 66वां प्रतिवेदन (आठवीं लोक सभा)।

(9) मानिकगढ़-चंद्रपुर नई बड़ी लाइन और चित्रदुर्ग-रायदुर्ग नई मीटर गेज लाइन संबंधी दसवां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(10) रेल विद्युतीकरण संबंधी 12वां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(11) महानगरीय परिवहन परियोजना, कलकत्ता संबंधी 13वां प्रतिवेदन (नौवीं लोक सभा)।

(12) पहिया और धुरी संयंत्र यलहंका संबंधी 16वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(13) मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना संबंधी 22वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

(14) शक्तिमान वाहनों के लिए इंजनों की अमितव्ययी खरीद संबंधी 67वां प्रतिवेदन (दसवीं लोक सभा)।

अपरान्ह 12.03 $^{1}/_{2}$ बजे

[हिन्दी]

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपरान्ह 12.04 बजे

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

बांग्लादेश के साथ गंगा जल के बंटवारे पर हुई संधि पर हस्ताक्षर

प्रधान मंत्री (श्री एच.डी. देवेगौड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बंगलादेश तथा हमारे देश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में एक वक्तव्य देना चाहता हूं।

बंगलादेश गणराज्य की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना हमारे निमंत्रण पर 10 से 12 दिसम्बर 1996 के बीच भारत के राजकीय दौरे पर आईं। प्रधान मंत्री शेख हसीना हमारे राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, लोक

सभा के अध्यक्ष, राज्य सभा के उप सभापति तथा सदन में विपक्ष के नेता से मिलीं। मेरी उनके साथ विस्तार से बात-चीत हुई। वे राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिलीं। ये वार्ताएं बहुत गर्मजोशी तथा दोस्ताना माहौल में हुई। बंगलादेश को प्रधानमंत्री ने अपने भारत प्रवास के दौरान अजमेर तथा जयपुर का भी दौरा किया।

इस वर्ष जून में सत्तासीन होने के बाद बंगलादेश की प्रधान मंत्री की यह प्रथम भारत यात्रा थी। हालांकि यह दौरा हमारी सरकार द्वारा सत्ता संभालने के साथ ही शुरू किए गए अनेक विचार विनियम का परिणाम था। इसके पहले सितंबर माह में विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर गए और नवंबर माह में बंगलादेश के विदेश मंत्री ने यहां का दौरा किया। सघन आदान प्रदान की इस अवधि में हमारे संबंधों में एक बिल्कुल नया आयाम आया। हमारे द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों के संबंध में प्रगति हो रही है। इसमें अहम मुद्दा हमारी द्विपक्षीय संधि का है, गत दो दशकों के दौरान मुख्य मुद्दा फरक्का में गंगा जल बंटवारे का रहा है। मुझे यह बताते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्री के बीच गंगा जल बंटवारे के संबंध में एक नई संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं। हमें विश्वास है कि यह संधि हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इस संधि से भारत के हितों की सुरक्षा होगी और साथ ही बंगलादेश को गंगा जल के बंटवारे से मदद मिलेगी।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : ज्यादा पानी दे दिया है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौड़ा : मैं संधि के मूल पाठ की एक प्रति अनुबंध के रूप में सभा पटल पर रखूंगा। संधि के अनुसार भारत तथा बंगलादेश के बीच फरक्का में गंगा जल का बंटवारा अनुबंध I में दर्शाए गए फार्मूले के आधार पर दिया जाएगा। इस फार्मूले की मुख्य बात यह है कि उपलब्ध जल का बंटवारा बराबरी के आधार पर समुचित ढंग से किया जाएगा। इस फार्मूले में दोनों देशों की आधारभूत तथा न्यूनतम आवश्यकताओं को भी मद्देनजर रखने की बात कही गई है। अतः I मार्च से 10 मई के बीच जल की कम आवश्यकता वाली अवधि के दौरान भारत तथा बंगलादेश को एक-एक करके 10-10 दिनों की अवधि के लिए वैकल्पिक रूप से तीन बार 35,000 क्यूसेक जल मिलने की गारंटी दी गई है। इसका लक्ष्य दोनों देशों की मौलिक आवश्यकता को न्यायोचित ढंग से पूर्ति करना तथा जल की कमी के बोझ को बांटना है। इस संधि में एक दीर्घावधि व्यवस्था की गई है जिसमें थोड़ी-थोड़ी अवधि के बाद जल बंटवारे के फार्मूले की समीक्षा करने तथा आवश्यकतानुसार समायोजन करने की बात है। यह संधि 30 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा दोनों देशों की रजामंदी से ही इसका नवीनीकरण किया जा सकेगा, इसमें प्रत्येक 5 वर्षों के बाद संधि को आवश्यक रूप से समीक्षा किये जाने की बात कही गई है और आवश्यकता पड़ने पर दो वर्षों के पश्चात इसकी उक्त अवधि के पहले भी समीक्षा किए जाने का प्रावधान है। समीक्षा किये जाने के बाद बंगलादेश को नये फार्मूले के अनुसार जल का 90 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त होगा। इस तरह से हम ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे जहां भारत तथा बंगलादेश के बीच गंगा जल के बंटवारे के संबंध में कोई समझौता नहीं है।

भारत तथा बंगलादेश के बीच संधि पर हस्ताक्षर होना हमारे संबंधों की विशिष्टता को दर्शाता है। भारत-बंगलादेश सहयोग 1971 के दौरान दोनों देशों के शहीदों के खून एवं बलिदान के इतिहास पर आधारित है। यह और भी उपयुक्त बात है कि यह संधि बंगलादेश की स्वतंत्रता के 25वें वर्षगांठ पर हो रही है जो कि हमारे उप महाद्वीप के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। इस संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही भारत-बंगलादेश संबंधों के एक नये युग की शुरूआत होगी। यह नया संबंध सुरक्षा, व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से बहुत फायदेमन्द साबित होगा। द्विपक्षीय संधियों के बीच हमेशा से चली आ रही अड़चनों को दूर करके, हम सहयोग के बिल्कुल एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सदन इस बात से अवगत होगी कि हमने बंगलादेश को अनेक निर्यात उत्पादों पर पहले ही टैरिफ रियायत देकर वाणिज्य के क्षेत्र में सहयोग की पहल कर दी है। हमारा विचार व्यापार संबंधों में और वृद्धि करने के लिए 100 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक ऋण प्रदान करने का है। समूचे पूर्वी क्षेत्र में उचित विकास एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम बंगलादेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

महोदय, यहां मैं यह भी बता रहा हूं कि पहले भी पूर्ववर्ती सरकारों का प्रयास बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों को सुदृढ़ करने का रहा है।

यहां यह भी बताना उचित होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा उनके कैबिनेट सहयोगियों ने एक ऐसी स्थिति के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है जिससे भारत-बंगलादेश के बीच वर्तमान संधि का होना संभव हो पाया है। मैं विदेश मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के अपने सहयोगियों के अमूल्य सहयोग एवं प्रयास के लिए भी उनका धन्यवाद देना चाहूंगा।

'सार्क' जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भारत तथा बंगलादेश दोनों देशों का काफी सहयोग रहा है और हमारा इस सहयोग को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा ताकि इस उपमहाद्वीप में सभी देशों के बीच रचनात्मक संबंध का निर्माण हो सके।

बंगलादेश के प्रधान मंत्री की यात्रा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटना है। गत रात उनके सम्मान में दिए गए रात्रि भोज के भाषण में

उन्होंने स्वयं ही 1971 की भावना में पुनः विश्वास व्यक्त किया है। हम उस समय की भी याद करते हैं जब हमने कंधे से कंधा मिला कर कार्य किया था तथा भ्रातृत्व की यही भावना भविष्य में हमें एक नए युग की ओर प्रेरित करेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इन भावनाओं से सहमत होगा तथा इस दिशा में प्रगति के हमारे संकल्प को समर्थन देगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश की प्रधान मंत्री को भी इस संधि में उनके द्वारा निभायी गयी रचनात्मक भूमिका के लिये बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि हमारे तथा हमारे निकटतम पड़ोसी के बीच मैत्री एवं सहयोग का एक नया युग प्रारंभ होगा। इस अवसर का हमें तहेदिल से स्वागत करना चाहिए। मैं प्रधान मंत्री तथा बंगलादेश के प्रधान मंत्री को पुनः बधाई देता हूं...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मैं उनके लिए जगह खाली करने को तैयार हूं...**(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है और हम उसकी गहराई में जाना चाहेंगे, उसका अध्ययन करना चाहिये। बंगलादेश और भारत के संबंधों में सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं, वे स्वागत-योग्य हैं और उन कदमों को मजबूती के साथ उठाया जाना चाहिए। बंगलादेश में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ है, 21 साल बाद वहां लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई पूरी घूम गई है। वह तसवीर मेरे सामने आ रही है जब स्वतंत्र बंगलादेश का दायित्व सम्भालने के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान दिल्ली आए थे और छावनी में हमने उनका स्वागत किया था। उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। शेख हसीना को बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने भारत की ओर मैत्री का हाथ बढ़ाया है तो स्वाभाविक है कि भारत उस मैत्री के हाथ को ग्रहण करे ताकि दोनों देशों के हितों की रक्षा हो, दोनों देशों के मित्रता के संबंधों को एक नया आयाम दिया जाए, नई मजबूती दी जाए।

गंगा जल के वितरण के बारे में विवरण क्या है, उस पर तो मैं वक्तव्य पढ़ने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि जब सदन में विदेश नीति पर चर्चा हो रही है, शायद आज शाम को होने वाली है, मेरा सुझाव है कि कीमतों में वृद्धि पर होने वाली चर्चा आज पूरी कर ली जाए।

अध्यक्ष महोदय : आज पूरी कर लेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उसके बीच में विदेश नीति न लाई जाए। विदेश नीति पर आगे चर्चा हो जाएगी और उसमें इसका भी समावेश किया जा सकता है क्योंकि यह विदेश नीति से संबंधित मामला है। कीमतों का प्रश्न हमारे घर का मामला है और सभी मैम्बरों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा।

बंगलादेश के साथ हमारे संबंधों के कई पहलू हैं। कल जब मैं शेख हसीना से मिला था तो मैने उनसे पूछा कि चकमाओं का क्या होगा, क्या वे चकमाओं को वापस लेने के लिए तैयार हैं-इसके उत्तर में उनकी ओर से सदाशयता का प्रकटीकरण हुआ है। वे सारी बातें इस वक्त स्पष्टीकरण के दौरान नहीं आ सकतीं, चर्चा में आ सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आप विदेश नीति पर होने वाली चर्चा को टाल दें तो उसमें इस संधि का भी समावेश किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी दल से दो-तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। वास्तव में स्वतः दिए गए वक्तव्यों पर टिप्पणी करने के संबंध में कोई नियम नहीं है। लेकिन यह एक विशेष मामला है अतः मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : मैंने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना है। इस वक्तव्य से न सिर्फ भारत तथा बंगलादेश के बीच संबंधों में सुधार होगा बल्कि यह हमारे द्विपक्षीय सहयोग के इतिहास में एक कीर्तिस्तंभ साबित होगा।

बंगलादेश मुक्ति संघर्ष आंदोलन के दौरान 1971 में इस सदन में क्या हुआ था वह मुझे याद है। आपको याद होगा कि मुक्ति आंदोलन से लेकर मुजीब सरकार तक मैंने एक अहम भूमिका निभाई थी। 9 अगस्त, 1971 को जब भारत-सोवियत संधि पर समझौता किया गया था, मैं जानता हूं कि किस दल ने क्या रूख अपनाया था। मैं आज उस घटना को पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। इस बात का इतिहास साक्षी है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि हमें इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि जो संधि हमने की है उस संधि को मूल भावना के अनुरूप तथा राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर ही इसको क्रियान्वित किया जाये।

अब, उपरि जल धारा जो उत्तर प्रदेश से बिहार होकर बहती है और अंततः फरक्का बैरेज के जल ग्रहण क्षेत्र में पहुंचती है। मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले पर भी समग्र रूप से विचार किया गया है या नहीं, ताकि यह सुनिश्चित ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी, अब आप बैठ जाईए।